4010(E)
23/5/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक–23/05/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत महिषी–चैनपुर पथ के पहले कि०मी० में 2x18m आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2016–17 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–383(अनु०) दिनांक 30.01.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत महिषी–चैनपुर पथ के पहले कि०मी० में 2x18m आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2016–17
2.2	एकरारनामा संख्या	:	02/ SBD/2016-17
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹3,85,61,147.00
2.4	संवेदक का नाम		M/S Sona Construction.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	22.10.2016
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	21.10.2017
2.7	मांग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	31.03.2019

23-5-19

3. **समयवृद्धि का कारण :–**

(i) **भूमि विवाद के कारण विलंव–** कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्यदेश निर्गत की तिथि के लगभग 4 (चार) माह तक पथ निर्माण विभाग की भूमि पर स्वामित्व संबंधी विवाद था। स्वामित्व का दावा करने वाले स्थानीय निवासी द्वारा पथ निर्माण विभाग को भूमि दान के पश्चात् दिनांक 25.02.17 से संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया।

(ii) **निर्माण स्थल में मिरचाई धार के जल का जमाव होने के कारण कार्य वाधित–** कार्य स्थल क्षेत्र से कोशी धार के नजदीक होने के कारण, कोशी में जल का स्तर बढ़ने पर मिरचाई धार पानी का बहाव तेज हो जाता है। जिसके कारण कार्यस्थल पर बाढ़ का पानी भर जाने पर कार्य में वाधा उत्पन्न हो जाता है। उपरोक्त के आलोक में दिनांक 15.6.17 से 10.04.18 तक संवेदक द्वारा अवधि विस्तार हेतु अनुरोध किया गया, जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा 300 दिनों का अनुशंसा किया गया है।

(iii) **बालू की अनुपलब्धता के कारण विलंव–** संवेदक द्वारा विभिन्न पत्रों से प्रमण्डल कार्यालय को सूचित किया गया कि बालू की अनुपलब्धता के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हो रही है। उनके द्वारा संबंधित खनन पदाधिकारी से भी इस संबंध में पत्राचार करने का अनुरोध किया गया। संवेदक द्वारा इस कारण 109 दिनों की अवधि विस्तार हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुशंसा की गई है।

अतः कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा उपरोक्त कारणों के आलोक में कुल 526 दिन अर्थात् दिनांक 31.03.2019 तक अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

4. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसाः**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 31.03.2019 तक समयवृद्धि इस शर्त के साथ स्वीकृति की अनुशंसा प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

23.5.19

5. <u>विभागीय निविदा समिति का निर्णय</u> :

5.1 मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–383(अनु०) दिनांक 30.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत महिषी–चैनपुर पथ के पहले कि०मी० में **2x18m** आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2016–17 (एकरारनामा सं0–**02/ SBD/2016-17**) हेतु दिनांक 31.03.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को **Price Escalation** का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो **Price Neutralization** हेतु विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

23.5.19	23.5.19	23/5/19	23.5.19
(राजकुमार लाल) मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(रत्नेश कुमार) संयुक्त सचिव–सह– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख–सह अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध(स०वि०)–04–38/2019– 4010(E) पटना, दिनांक– 23/5/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल सहरसा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/5/19

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।